प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2010:CGHC:7105

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका (सी) क्रमांक 6354 / 2009

श्रीमती शैल सिंह परिहार

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छ. ग. शासन एवं अन्य

<u>निर्णय</u>

निर्णय हेतु: 23/ 04/ 2010

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिंहा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6354 / 2009

याचिकाकर्ता : श्रीमती शैल सिंह परिहार, पति श्री राम प्रताप सिंह परिहार, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम टेढाडौरा, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बीज भवन, छत्तीसगढ़ होटल के सामने, रविग्राम, टेलिबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

3. श्री महेन्द्र सिंह सावन्नी, उप संचालक, मंडी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रताप चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.)।

4. श्री आर.के.गुप्ता, सहायक लेखा अधिकारी, उप संचालक, मंडी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रताप चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

5. श्री जनक राम मरावी, सदस्य, कृषि उपज मंडी, मुंगेली, जिला बिलासपुर, निवासी ग्राम बगबूढ़वा, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

(रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227 भारत का संविधान)

उपस्थिति :

श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री एम.के.भादुरी, श्री विपिन सिंह एवं श्री ए.एस. अंसारी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सह श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप-महाधिवक्ता के साथ, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से।

श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से

निर्णय

(दिनांक 23.04.2010)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) याचिकाकर्ता — श्रीमती शैल सिंह परिहार ने यह रिट याचिका आदेश दिनांक 26.10.2009 (अनुलग्नक–P/25) की वैधता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जो उत्तरवादी क्रमांक 2, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (जिसे आगे "मंडी अधिनियम, 1972" कहा जाएगा) की धारा 55(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को कृषि उपज मंडी समिति, मुंगेली के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तथा उसे अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पुनः निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किया गया है |

(2) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है —

याचिकाकर्ता कृषि उपज मंडी समिति, मुंगेली की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। निर्वाचन 20.01.2006 को संपन्न हुआ था तथा परिणाम 24.01.2006 को घोषित किए गए। उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा की गई परिवाद के आधार पर, याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रारंभिक जांच संपादित की गई तथा दिनांक 25.09.2009 को धारा 55(2), छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। इसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने

मंडी समिति, मुंगेली को प्रदत्त स्कॉर्पियो वाहन का अनुचित उपयोग किया, जिसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया, बिना इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किए। इसके संबंध में याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की सार-संक्षेप सामग्री निम्नवत् है जिसमें याचिकाकर्ता पर लगाये गये आरोपों का उल्लेख है —

"संचालनालय कृषि मंडी म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक / मंडी / 3 / स्वीकृति / 1679 भोपाल, दिनांक 27.11.1991 के अनुसार यह निर्देश है कि मंडी समिति का वाहन सचिव कृषि उपज मंडी समिति के पूर्णतः नियंत्रण में रहेगा और मंडी समितियों को वाहन दिए जाने का उद्देश्य विपणन नियंत्रण, गैर-लाइसेंसधारियों की जांच, मंडी फीस के अपवचन को रोकने और अवैधानिक कार्यों पर नियंत्रण रखना इत्यादि है। उक्त वाहन का उपयोग अधिकाशतः आपके द्वारा ही किया गया है और उक्त वाहन आपके नियंत्रण में ही रही है। इस प्रकार आपने निर्देशों की अवहेलना कर गंभीर कदाचरण किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चूंकि वाहन आपके प्रभार तथा आपके नियंत्रण में रहा है इन कारणों से उक्त वाहन के डीजल एवं मरम्मत पर हुए व्यय के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। आपने अपने पद का दुरूपयोग किया है तथा नियमों तथा निर्देशों की अनदेखी करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के परिपत्र क्रमांक/बी-3/3/440 भोपाल दिनांक 18.07.2000 एवं पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 04.08.2000 में यह निर्देश दिए गए हैं कि मंडी समिति के वाहन को मंडी क्षेत्र के बाहर एवं जिले के अंदर ले जाने के पूर्व अनुमति उपसंचालक आंचलिक कार्यालय से प्राप्त की जाए एवं जिले से बाहर यात्रा किए जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक से स्वीकृति प्राप्त की जाए। किंतु जांच प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर,जिले के अंदर की यात्राओं तथा जिले के बाहर की गई यात्राओं की स्वीकृति क्रमशः उपसंचालक आंचलिक कार्यालय एवं प्रबंध संचालक से प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार आपने विभागीय निर्देशों तथा अपने पदीय कर्तव्यों का पालन की उपेक्षा करते हुए गंभीर कदाचरण किया है।

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का परिपत्र क्रमांक/बी-3/3/440 भोपाल दिनांक 18.07.2000 के अनुसार मंडी क्षेत्र के भीतर की गई यात्राओं के लिए अधिकतम 360/—रुपए दैनिक भत्ता दिए जाने संबंधी निर्देश है परन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों के विपरीत मंडी क्षेत्र के भीतर किए गए यात्राओं के लिए 360/- रूपए से अधिक दैनिक भत्ता प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार मंडी क्षेत्र के बाहर राज्य के अंदर की गई यात्राओं में रात्रि विश्राम की स्थिति में लॉजिंग 300/ रूपए अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो दिए जाने के निर्देश है। परन्तु आपके द्वारा दिनांक 28.08.2006 से अक्टूबर 2008 तक प्रस्तुत यात्रा देयक अनुसार बिना लार्जिंग बिल प्रस्तुत किए ही ₹12,30,000.00 रुपए का भुगतान किया है जो कि दर्शाये गये निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना होने के कारण गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाहन के संचालन हेतु समय-समय पर वरिष्ठलय द्वारा यह निर्देश दिए जाते है कि वाहन के मरम्मत एवं अन्य व्यय प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के तहत ही किया जावे। किंतु जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन के मरम्मत पर वर्ष 2006–07 में रु. 10,421.00, वर्ष 07–09 में रु. 25,621.00 एवं वर्ष 08–09 में रु. 33,200.00 व्यय हुआ है। जबकि प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत विहित सीमा से अधिक व्यय की स्वीकृति उपसंचालक आंचलिक कार्यालय से प्राप्त की जानी चाहिए थी परन्तु इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और वाहन मरम्मत पर अनियमित व्यय किया गया। जो कि निर्देशों की विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 39 के अनुसार मंडी निधि का जिन प्रयोजनों के लिए व्यय किया जा सकता है, प्रावधानित है। तथा छ. ग. कृषि उपज मंडी (मंडी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय) 1980 के नियम 14(3) ,(एक) ,(दो) ,(तीन) में विहित बिलों को छोड़कर शेष बिलों को मंडी समिति के पूर्व मंजूरी की बिना पारित नहीं कर सकता । वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किया जाता है कि डीजल इत्यादि पर होने वाले व्यय मंडी समिति से स्वीकृत कराया जाना चाहिए। तथा प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के तहत निर्धारित सीमा अनुसार व्यय किया जाना चाहिए। किंतु आपके द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए विहित

सीमा से अधिक डीजल बिलों पर वर्ष 2007–08 से 2009–10 (23 जुलाई 2009 तक) रु. 3,24,276.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है जो कि प्रावधानों के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण है।

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/8–12/गृह/02 रायपुर दिनांक 31.03.2003 द्वारा निर्धारित मायलेज अनुसार क्रय किए गए वाहन का मुख्यालय में 09 किलोमीटर/लीटर एसी सहित तथा 10 किलोमीटर/लीटर बिना एसी के इसी प्रकार मुख्यालय के बाहर 08 किलोमीटर/लीटर एसी सहित एवं 11 किलोमीटर/लीटर बिना एसी निर्धारित है । किन्तु आपके नियंत्रण में रखे गए मंडी समिति की वाहन क्रमांक सीजी 10 एफ़ 3444 स्कॉर्पियो को माह अक्टूबर 2007 से प्रति लीटर 08 किलोमीटर का औसत दर्शाया जाकर डीजल का खपत बताया गया है । जो कि उक्त निर्देशों के विपरीत है तथा निर्देशों का उल्लंघन कर गंभीर कदाचारण किया जाकर मंडी समिति को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना परिलक्षित होता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संचालनालय कृषि मंडी म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/मंडी/3/स्वीकृति/1679 भोपाल दिनांक 27.11.1991 में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उक्त वाहन का उपयोग आपके द्वारा ही किया गया है और उघटन वाहन आपके नियंत्रण में है । आपके द्वारा प्रस्तुत दौरा दैनंदिनी में यह स्पष्ट नहीं होता कि आपने मंडी के हितों में दौरा किया बल्कि यह स्पष्ट हो रहा है कि वाहन का उपयोग आपके द्वारा मंडी हित कार्यों में न किया जाकर निजी कार्यों में उपयोग किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आप मंडी कार्यों के निर्वहन न करते हुए निजी कार्यों में वाहन का उपयोग, जिसमें डीजल पर व्यय, मरम्मत कार्यों पर अनियमित व्यय करते रहे । मंडी की आर्थिक स्थिति में सुधार/वृद्धि परिलक्षित नहीं होता । अतः इससे यह दर्शित होता है कि आप मंडी कर्तव्यों का निर्वहन में पूर्णतः विफल रही ।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.10.2009 को उत्तरवादी क्रमांक 2 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ सूचना-पत्र में लगाए गए सभी आरोपों से इन्कार किया तथा यह कहा कि स्कॉर्पियो जीप का उपयोग मंडी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार ही किया गया था।याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि स्कॉर्पियो जीप की खरीद के तुरंत पश्चात्

दिनांक 10.11.2006 को मंडी समिति के सचिव द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें यह मार्गदर्शन माँगा गया था कि वाहन का नियंत्रण सचिव के अधीन रहेगा या समिति के अध्यक्ष के अधीन। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.09.2006 को मंडी बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.11.1997 के संदर्भ में पुनः मार्गदर्शन हेतु पत्र भेजा गया, परंतु उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी प्रतिपादित किया कि राज्य शासन के आदेश में, जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियो जीप की खरीद को एक अपवादस्वरूप स्वीकृति प्रदान की गई थी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि वाहन को समिति के अध्यक्ष के उपयोग के लिए ख़रीदा गया है। कारण बताओ सूचना-पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता ने यह कहा कि उन्होंने कभी भी मंडी बोर्ड द्वारा जारी किसी भी परिपत्र या दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है, जो कि उनके मामले में लागू था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने जवाब में उठाए गए तर्कों के समर्थन में अनेक दस्तावेज़ भी संलग्न किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण बताओ सूचना-पत्र के जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात्, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 20.10.2009 को जारी किया।

याचिका में किये गये प्र्क्कथनानुसार, याचिकाकर्ता 20.10.2009 को उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष अपने अधिवक्ता सहित उपस्थित हुईं। याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने तर्कों की प्रगति हेतु केस की मूल अभिलेखीय फाइल प्रस्तुत करने की मांग की। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जो फाइल प्रस्तुत की गई उसमें दस्तावेजों की केवल छायाप्रतियाँ थीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे फोटोकापियाँ थी, अतः मूल फाइल, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 की मूल प्रतिवेदन रिपोर्ट सम्मिलित थी, दिखाने का अनुरोध किया गया। परंतु उत्तरवादी क्रमांक 2 ने मूल फाइल और उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दिखाने से इन्कार किया। जब याचिकाकर्ता ने इस पर जोर दिया, तो उसे निर्देश दिया गया कि वह एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करे। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने आवेदन (अनुलग्नक–P/22) दाखिल किया। इसके पश्चात्, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा सुनवाई हेतु एक नया नोटिस जारी किया जिसमें सुनवाई दिनांक 22.10.2009 को होनी थी। प्रकथन की कंडिका 8.38 के अनुसार, दिनांक 22.10.2009 को

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया कि सुनवाई की तिथि 24.10.2009 या 31.10.2009 या 07.11.2009 निश्चित की जाए ताकि वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित होकर याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कर सकें। इस आवेदन की प्रति अनुलग्नक–P/24 के रूप में पेश है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने यह कहा कि आवेदन पर लिए जाने वाले निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को दी जाएगी। परंतु, उक्त आवेदन दिनांक 22.10.2009 में किया गए निवेदन को स्वीकार न कर, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को मंडी समिति के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिनांक 26.10.2009 को पारित कर दिया ।

(3) प्रस्तुत याचिका का जवाब उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका की कंडिका 8.34 से 8.39 में किए गए प्रकथनों के संदर्भ में, उत्तरवादी क्रमांक 2, 3 एवं 4 ने अपना निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत किया :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(xxv) <u>कंडिका 8.34 से 8.39 के संबंध में जवाब</u> :–

इस कंडिका की विषयवस्तु जांच से संबंधित तथ्यों का विवरण मात्र है, अतः ये सभी अभिलेखीय विषय हैं। जवाब प्रस्तुत करने वाला उत्तरदाता आदेश पत्र की प्रतियाँ अनुलग्नक R-2/4 के रूप में संलग्न करते हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किए गए थे, परंतु याचिकाकर्ता प्रत्येक सुनवाई में किसी न किसी कारणवश स्थगन की मांग करता रहा। सेवा-न्यायशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यह व्याख्या करना कि सुनवाई के अवसर का विस्तार, अपचारी व्यक्ति की संतुष्टि तक किया जाए, उचित नहीं है। अतः याचिकाकर्ता सुनवाई के अवसर के मुद्दे पर अनावश्यक रूप से बल दे रहा है।"

(4) श्री के.ए. अंसारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत होकर, दो बिंदुओं पर तर्क प्रस्तुत किए। प्रथम, उन्होंने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित अध्यक्ष था, अतः मंडी अधिनियम की धारा 55(2) के अंतर्गत पद से हटाने का आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन आवश्यक था। द्वितीय, उन्होंने यह तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने कारण बताओ सूचना पत्र में लगाए गए आरोपों/दोषारोपणों पर अपनी स्वतंत्र निष्कर्ष अंकित नहीं की। उन्होंने केवल उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर निर्भर किया, जो याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में कराई गई थी, और वो भी बिना कारण बताए, अतः,निष्कासन का आदेश भी गुण-दोष के आधार पर दोषपूर्ण है। ।

(5) दूसरी ओर, श्री किशोर भादुड़ी , विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से उपस्थित हुए तथा श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से उपस्थित हुए। इन दोनों ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध किया तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था तथा यह एक सिद्ध कदाचरण का मामला था। अतः उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश विधिसम्मत एवं उचित रूप से पारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना है तथा याचिका अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों के विवेचन में, सबसे पहले मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 55(2) के प्रावधानों पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित रूप में है :–

“55(2) प्रबंध संचालक किसी भी मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है, यदि वह कदाचार का दोषी पाया जाए, अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरतता हो, या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम अथवा उपेक्षापूर्ण हो। ऐसे हटाए जाने पर उक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने शेष कार्यकाल की अवधि के दौरान पुनः निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा, चाहे वह सद्स्य के रूप में हो।

परंतु यह उपबंधित किया जाता है कि जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जैसा भी मामला हो) को यह युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो कि वह यह कारण प्रस्तुत कर सके कि उक्त हटाने का आदेश क्यों न पारित किया जाए, तब तक ऐसा कोई हटाने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(8) उपर्युक्त उपबंधों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि — किसी व्यक्ति के विरुद्ध पद से हटाने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर न प्रदान किया गया हो कि वह यह स्पष्ट कर सके कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाए।

(9) **तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2001) 6 SCC 260** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 के अंतर्गत परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया कि — "कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र में, जब कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक संस्था में किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह अपने निर्वाचित कार्यकाल तक उस पद को धारण करने का अधिकारी होता है, जब तक कि उसकी नियुक्ति या निर्वाचन विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपास्त न कर दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पद से हटाया जाना एक गंभीर विषय है; यह उस पदाधिकारी के वैधानिक कार्यकाल को सीमित कर देता है। ऐसे पद से हटाने पर उसके विरुद्ध कलंक लग जाता है क्योंकि कुछ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, जिससे वह व्यक्ति अपने पद को धारण करने के योग्य नहीं रह जाता।" उपरोक्त निर्णय पर अवलंभ लेते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शारदा कैलाश मित्तल बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 2 SCC 319** के मामले में यह प्रतिपादित किया कि — जब पदाधिकारी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होता है, तो उसका पद से हटाया जाना एक अत्यंत कठोर कदम है, जिसे केवल गंभीर एवं असाधारण परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए — न कि किसी सामान्य अथवा लघु अनियमितता के लिए। आगे दोहराया गया कि पद से हटाने की कार्यवाही पदधारी व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन पर गंभीर कलंक लगाती है, और इसके परिणामस्वरूप आगामी कार्यकाल के लिए उस व्यक्ति की अयोग्यता भी उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित विवाद पर विचार कर रहा था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि — पद से हटाने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है, और न ही यह स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार के प्रावधानों की व्याख्या अत्यंत सख्ती से की जानी चाहिए, क्योंकि पदाधिकारी उस पद को लोकतांत्रिक रूप से प्राप्त करता है। निर्वाचन द्वारा प्राप्त पद से यदि किसी व्यक्ति को कार्यपालक आदेश द्वारा वंचित कर दिया जाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, जिसमें मतदाताओं की कोई सहभागिता नहीं होती, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग उस पदाधिकारी की स्थिति पर गंभीर दीवानी परिणाम उत्पन्न करता है।

(10) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के उन प्रावधानों के संबंध में जो निर्वाचित पदाधिकारियों को पद से हटाने से संबंधित हैं, वही सिद्धांत वर्तमान मामले पर भी समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 55(2) का भी वही अर्थ लगाया जाना चाहिए जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा के मामले में प्रतिपादित किया था।यहाँ भी याचिकाकर्ता एक निर्वाचित अध्यक्ष थीं, और उनका पद से हटाया जाना अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अंतर्गत पारित किए जाने वाले एक कार्यपालक आदेश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उक्त धारा 55(2) के अंतर्गत पारित पद से हटाने के आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, और न ही यह पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि उक्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 2 पर यह एक गम्भीर दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता के प्रकरण की समीक्षा नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार करे, और उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही याचिकाकर्ता से कारण बताने हेतु आदेश पारित करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अब हम उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में इस प्रकरण की परीक्षण करेंगे। जहाँ तक कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने का सम्बन्ध है, आदेश पत्रकों से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 22.10.2009 को अभिलेख में यह उल्लेख किया गया कि अधिवक्ता श्री विपिन सिंह उस प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए एवं एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख में दर्ज कर लिया गया। किन्तु, उक्त आवेदन के परिणाम या उस पर पारित आदेश का कोई उल्लेख या अनुमोदन न तो उसी दिनांक पर और न ही किसी अन्य तिथि पर पाया जाता है। प्रतीत होता है कि तत्पश्चात यह विषय 26.10.2009 को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, और प्रारंभ में प्राधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 2 ने यह लिखा कि याचिकाकर्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी उसने संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, अतः जांच प्रतिवेदन तथा विभागीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं, और यह उपयुक्त होगा कि याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। तत्पश्चात, आक्षेदित आदेश अभिलेख-पत्र/आदेश-पत्रक की निरंतरता में पारित किया गया।यह तथ्य

इस बात को दर्शाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 22.10.2009 को याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्थगन की प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं किया। यहां तक कि याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को यह सूचित भी नहीं किया गया कि प्रार्थना–पत्र में मांगा गया समय उन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा। न्यायोचित दृष्टि से यह अपेक्षित था कि उक्त प्रार्थना–पत्र या तो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उसी दिन अस्वीकृत कर दिया जाता, अथवा याचिकाकर्ता को सूचित किया जाता कि उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उसे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जा रहा है, और तत्पश्चात धारा 55(2) के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करने हेतु मामले को ग्रहण किया जाता। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अपने याचिका के कंडिका 8.34 से 8.39 में विस्तारपूर्वक कथन अभिवचन किए हैं, परंतु उत्तरवादीगण ने उन कथनों का स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया, अपितु उन्होंने उन लेखपत्रों के संदर्भ में एक अस्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किया (जैसा कि पूर्वोक्त में उल्लिखित है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) धारा 55 की उपधारा (2) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "युक्तियुक्त अवसर" से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचित पदाधिकारी को दिया जाने वाला अवसर केवल एक औपचारिकता या आदेश पारित करने हेतु तकनीकी आवश्यकता मात्र नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक अवसर होना चाहिए ताकि निर्वाचित पदाधिकारी को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करने का वास्तविक अवसर प्राप्त हो सके। यह और भी आवश्यक है क्योंकि धारा 55(2) के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं। यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि अधिनियम 1972 की धारा 55(2) के अंतर्गत पारित आदेश को अंतिम माना गया है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

(13) प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम 1972 की धारा 55(2) के अंतर्गत अध्यक्ष के पद से क्यों न हटाया जाए, इस संबंध में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही अत्यंत शीघ्रता एवं हड़बड़ी में संपादित की गई है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उक्त आदेश को अपास्त किया जाए तथा उत्तरवादी प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि प्रकरण में निर्णय पारित करने के पूर्व याचिकाकर्ता को नये सिरे से सुने |

(14) चूँकि यह मामला नये सिरे से विचारार्थ संबंधित प्राधिकरण को भेजा जा रहा है ताकि वह नवीन निर्णय दे सके, इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश के गुण-दोषों पर टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं समझा जाता।

(15) पूर्वगामी कारणों के आधार पर, यह याचिका स्वीकृत की जाती है। उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 26.10.2009 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक – P/25) को अपास्त किया जाता है। चूँकि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाने का निर्णय लिया था, अतः यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का नये सिरे से अवसर प्रदान करे तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा तिथि निर्धारित की जाए और उस तिथि पर आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

हस्ताक्षरित

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma